तत्कालीन तहसीलदार सहित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

करोड़ों की आदिवासी जमीन हड़पने का मामला

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। जिले के बहुचर्चित जमीन घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में पन्ना की विशेष अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार डॉ. बबीता राठौर जो की वर्तमान में नर्मदापुरम में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदस्थ है उनके सहित मुन्ना कुशवाहा, धीरज तिवारी, अधिवक्ता अजय पटेरिया एवं श्रीराम शर्मा की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली पन्ना में दर्ज अपराध क्रमांक 824/25 धारा 420, 120बी, 467, 468, 471 सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध है जो कि विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हों, वहां अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

लापरवाही या साजिश - जांच में सामने आया कि राजाराम, मृतक जगोला का पुत्र नहीं था। नामांतरण के दौरान न तो मृतक का सिजरा खानदान प्राप्त किया गया और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया।

इन धाराओं में दर्ज है मामला-थाना कोतवाली पन्ना में आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 120-बी, 467, 468, 471, 409 एवं एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध है। जमानत खारिज होने के बाद अब आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह मामला पन्ना जिले में भू-माफ्यिाओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासियों की जमीनों को निशाना बनाने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करता है। अन्य सह आरोपी मुन्ना कुशवाहा पर आरोप है कि मुख्य आरोपी श्रीकांत दीक्षित एवं अनुपम त्रिपाठी द्वारा 8 लाख 50 हजार की राशि जो चैक के माध्यम से राजाराम के खाते में जमा कराई गई थी उसमें से मुन्ना कुशवाहा के खाते में 3 लाख रूपये और धीरज तिवारी के खाते में 2 लाख तथा देवी सिंह के खाते में 2 लाख 51 हजार रूपये एनईएफटी के माध्यम से ट्रांस्फर किये गये। पुलिस अनुसंधान के आधार पर यह तथ्य अभिलेख में आया कि उक्त तीनों व्यक्ति श्रीकांत दीक्षित के यहां गाड़ियों एवं क्रेशर में काम करते थे। इसलिये अभियुक्त मुन्ना कुशवाहा के प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने के कारण जमानत का लाभ नही दिया जा सकता। अन्य सह आरोपी/आवेदक श्रीराम शर्मा पर आरोप है कि मुख्य आरोपी श्रीकांत दीक्षित के कहने पर आरोपी देवी सिंह के साथ मिलकर जो कि आंखो से अंधी है घर जाकर प्रलोभन दिया तथा घर जाकर वीडियों बनाकर मुख्य आरोपी को दिया तथा मल्लन बाई के भतीजे हजारी व बिहारी आदिवासी को प्रलोभन देकर फर्जी सपथ पत्र एवं फर्जी पंचनामा बनाने का आरोप है। अत: आवेदक श्रीराम शर्मा को अग्रिम जमानत न देते हुये उनका आवेदन निरस्त किया गया। एक अन्य सह आरोपी/आवेदक अजय पटेरिया अधिवक्ता पर आरोप है कि राजाराम को मृतक जगोला गौड़ का पुत्र दर्शाकर विक्रयपत्र निष्पादित करवाया गया है उसमें आवेदक/ आरोपी अजय पटेरिया द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये गये है तथा श्री पटेरिया सहआरोपी श्रीकांत दीक्षित का सहयोगी है एवं रामलखन त्रिपाठी का जूनियर अधिवक्ता है तथा उक्त फर्जीवाड़ा वाले प्रकरण में अधिवक्ता अजय पटेरिया ने मुख्य आरोपियों के पक्ष में गवाही भी दी है अत: पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने के कारण जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

तहसीलदार की भूमिका पर सवाल

बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के कर दिया नामांतरण आवेदिका डॉ. बबीता राठौर पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मृतक जगोला की बेशकीमती भूमि का नामांतरण अवैध रूप से राजाराम के पक्ष में कर दिया।

कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने कहा कि एक लोक सेवक द्वारा बिना तस्दीक किए नामांतरण करना पदीय कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह अपराध में स्पष्ट संलिप्तता दर्शाता है। इसलिए उन्हें धारा 197 के तहत मिलने वाला संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

एकाउंटेंट के खाते में हुआ लाखों का ट्रांजैक्शन

आरोपी श्रीकांत दीक्षित के एकाउंटेंट धीरज तिवारी पर साठगांठ और मनी ट्रेल के गंभीर आरोप हैं। राजाराम आदिवासी के खाते में कुल 8 .50 लाख रुपये जमा किए गए थे। इसके ठीक बाद धीरज ने अपना बैंक खाता खुलवाया और राजाराम के खाते से 2 लाख रुपये धीरज के खाते में ट्रांसफर हुए। पुलिस जांच के अनुसार, धीरज मुख्य आरोपियों (श्रीकांत दीक्षित और रामलखन त्रिपाठी) का बेहद नजदीकी और भरोसेमंद है, जिसके चलते उसके खाते का उपयोग अवैध राशि के लेन-देन के लिए किया गया। कोर्ट ने आरोपी के हस्ताक्षर नमूने लेने की आवश्यकता को भी जमानत खारिज करने का आधार माना। कोर्ट ने कहा कि यदि अभिलेख के आधार पर एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, तो अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है।

विस्थापितों को रास्ते में रोकने पर बढ़ा आक्रोश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। पन्ना एवं छतरपुर जिला प्रशासन की लचर कार्यकारणी के चलते विस्थापितों को न्याय न मिलने के कारण अब वे आर-पार की लड़ाई के मूड में है।

कई बार धरना प्रदर्शन एवं शिकायत करने के बावजूद जब न्याय नही मिला तो वे देश की राजधानी दिल्ली में जाकर अपनी आवाज बुंलद करनी चाही तो वहां भी जाने नही दिया जा रहा। केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगांय, नेगुवा और रूंझ बांधों से प्रभावित हजारों आदिवासी किसान और महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन ने दिल्ली जाने से रोक दिया। इससे नाराज होकर आदिवासी किसान और महिलाएं केन-बेतवा लिंक परियोजना के दौधन बांध पर धरने में बैठ गए हैं। विस्थापितों ने आरोप लगाया, प्रशासन द्वारा दिल्ली जाने से रोकने, मार्ग में धमकाने, राशन-पानी रोकने और धारा 163 लागू करके आवाज दबाने की कोशिश के बाद आंदोलनकारियों ने बुधवार से चिता आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। गुस्से से भरे किसानों का कहना है कि यदि हमें न्याय नहीं दे सकते तो हमें मौत दे दो। मंगलवार को आंदोलन स्थल पर किसानों और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हर बार वार्ता टकराव में बदलती रही। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में बांध प्रभावितों से जुड़े मामलों में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। उन्होंने वर्षों से दिए जा रहे झूठे आश्वासनों और अनसुनी शिकायतों का रिकॉर्ड अधिकारी के सामने पेश किया। अनेक ग्रामीणों ने एक ही आवेदन 10-10 बार दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव खाली कराने और मकानों को तोड़े जाने की खबर से मौके पर तीखी बहस हुई। किसानों ने इसे पूरी तरह तानाशाही और अलोकतांत्रिक रवैया बताया।

रिटायर डीएसपी एवं पत्नी पर मामला दर्ज

शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर पुलिस ने की कार्यवाही

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। बुंदेलखण्ड के चर्चित नेता एवं पूर्व विधायक अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैयाराजा के बहनोई एवं बहिन पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ज्ञात हो कि भैयाराजा की बहिन जनपद पंचायत पवई की अध्यक्ष भी रह चुकी है।

हासिल जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग के रिटायर्ड डीएसपी भरत सिंह चौहान उम्र लगभग 80 वर्ष जो अपनी धर्मपत्नी राजश्री चौहान के साथ मैहर से ग्वालियर इलाज कराने जा रहे थे, जिस समय वह मड़ला थाने के सामने से गुजर रहे थे जहां पर पुलिस वाहन चैकिंग कर रही थी चैकिंग के दौरान सीट बेल्ट न लगाने के कारण पुलिस चालानी कार्यवाही करने लगी तो इसी बात को लेकर पुलिस विभाग के रिटायर्ड डीएसपी भरत सिंह चौहान एवं पुलिस के बीच कुछ कहा सुनी हुई। उसी दौरान भरत सिंह की पत्नी राज श्री चौहान बीच बचाव करने के लिए गाड़ी से उतरी वह अपने साथ पति की लायसेंसी बंदूक भी लिए थी जो वायरल वीडियो में दिख रहा है जिस पर मड़ला पुलिस द्वारा राज श्री चौहान एवं भरत सिंह के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने के आरोप में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा लायसेंसी बंदूक का लाइसेंस भरत सिंह चौहान के नाम है जबकि वीडियों में उक्त बंदूक को उनकी पत्नी राज श्री चौहान लहराती हुई दिखाई दे रही है जिस पर उसे भी जब्त की गई है इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जहां से दोनों को न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण पखवाड़ा का आयोजन 23 तक

पन्ना, 8 अप्रेल। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 9 से 23 अप्रैल तक दो सप्ताह का पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मातृ एवं शिशु पोषण, जन्म से 3 वर्ष तक मस्तिष्क विकास और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत परिवार और समुदाय की भूमिका को मजबूत करने, स्क्रीन टाइम कम करने और सशक्त आंगनबाड़ी निर्माण जैसे विषयों पर गतिविधियां होंगी। पखवाड़े को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए रैलियां, पोषण पर चर्चा, दादी-नानी की जुबानी कार्यक्रम और खिलौना निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

बिजली उपभोक्ताओं को समाधान योजना से मिलेगी बड़ी राहत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना 2025-26 की समय-सीमा को बढ़ाकर अब 15 मई 2026 तक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जिले के हजारों उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का निपटान भारी छूट के साथ कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जो आर्थिक कारणों से लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए हैं। अब उन्हें सरचार्ज में विशेष छूट देकर बकाया राशि जमा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पन्ना जिले में अब तक 37 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। इन उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 9.15 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। वहीं करीब 1.69 करोड़ रुपए के सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। यह योजना घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। योजना शासकीय कनेक्शनों पर लागू नहीं होगी। अब भी जिले में लगभग 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है। इन पर करीब 40.90 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि तथा 9.17 करोड़ रुपये का सरचार्ज बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 15 मई 2026 तक का समय अंतिम अवसर के रूप में दिया गया है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत विभाग द्वारा जिले भर में 120 विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में उपभोक्ताओं का मौके पर पंजीयन कर बिल संबंधी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा तथा छूट की गणना कर लाभ तुरंत प्रदान किया जाएगा। उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। समाधान योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें बकाया बिल से राहत दिलाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि का निपटान करें।

गल्ला व्यवसायी संतोष छिरौल्या का दुखद निधन

नवभारत न्यूज

अमानगंज, 8 अप्रेल। स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12, छिरौल्या मोहल्ला में एक 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दुखद कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित थे। परिजनों ने बताया कि उनका कई स्थानों पर उपचार कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण वे काफी तनाव में रहते थे। 8 अप्रैल 2026 की दोपहर करीब 12 बजे परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी मिली।

पुलिस ने 38 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष गुम मोबाइल खोज अभियान के तहत थाना देवेंद्रनगर पुलिस द्वारा माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 के दौरान 38 गुम मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत करीब ?5.70 लाख है सफलतापूर्वक खोजकर संबंधित आवेदकों को वापस किए गए।

इस उपलब्धि के लिए सीईआइआर पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया गया। थाना देवेंद्रनगर की टीम ने पोर्टल के माध्यम से डिटेक्ट मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से ट्रेस कर बरामद किया। बरामद किए गए मोबाइल फोन उन आवेदकों को वापस किए गए, जिनके मोबाइल थाना देवेंद्रनगर क्षेत्र से गुम हुए थे। सीईआइआर पोर्टल एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गुम मोबाइल की शिकायत ऑनलाइन या नजदीकी थाने में आवेदन देकर दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने के पश्चात साइबर सेल एवं हेल्पडेस्क की टीम पोर्टल के माध्यम से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर बरामदगी करती है। इस अभियान में थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव थाना की टीम एवं साइबर सेल पन्ना के कर्मचारियों का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की अनंतिम चयन सूची जारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। एकीकृत बाल विकास परियोजना पन्ना शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर भर्ती के लिए पूर्व में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक तथा सहायिका के 2 पद पर भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के जरिए 68 आवेदिकाओं द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन किया गया।

गठित खंड स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी आवेदनों की समीक्षा और सत्यापन उपरांत अनंतिम चयन सूची जारी की गई है। सूची का अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में आगामी 14 अप्रैल तक ऑनलाइन दावा आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। परियोजना अधिकारी किरण खरे ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र पुरूषोत्तमपुर 1 में कार्यकर्ता पद पर हेमलता कुशवाहा तथा आंगनबाड़ी केन्द्र कुंजवन 1 एवं आंगनबाड़ी केन्द्र 46 में सहायिका के पद पर क्रमश: शिल्पा मंडल एवं नहीदा परवीन का अनंतिम रूप से चयन किया गया है।

गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी किये दिशा-निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। राज्य शासन द्वारा वर्तमान परिस्थिति में गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिसके तारतम्य मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना डॉ आरपी तिवारी द्वारा जिले के आमजन को अवगत कराया जाता है कि माह मार्च से माह जुलाई तक तापमान में बढोत्तोरी परिलक्षित होती है ।

जिसके परिणामस्वमरूप हीट रैशेस त्वचा पर गुलाबी या लाल रंग के दाने निकलना, डीहाइड्रेशन गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाना, हीट स्ट्रोसक या लू(गर्मी के कारण शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट के पास पहुँच जाना) की स्थिति निर्मित हो सकती है इनसे बचाव के लिए आवश्यक है कि गर्मी में घर से बाहर निकलते समय सिर को गमछे या तौलिये से ढककर ही निकले, रंगीन चश्मे व छतरी का प्रयोग करे, ढीले सूती कपडे पहने। इसके साथ ही हमेशा पानी तथा तरल पेय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करे बाहर जाते समय अपने साथ हमेशा पानी रखे, गर्मी के मौसम मे बच्चो का विशेष ध्यान रखे, बच्चो को सिखाये कि जब भी उन्हें अत्याधिक गर्मी महसूस हो तो वे तुरन्ते घर के अंदर आये, बुजुर्गो को धूप मे बाहर न निकलने दे व उन्हें समय-समय पर पानी पीने के लिये प्रेरित करे। गर्मी के दिनो में ठंडे मौसमी फ्लो का सेवन करें। यदि किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी है उस दिन ज्यादा व्यायाम से बचें क्योकि इससे शरीर का पानी जल्दी सूखता है। सुबह जल्दी और देर शाम जब ठंडक हो तभी व्यायाम किया जाना चाहिए। लू लगने पर लक्षण इस प्रकार होते है जैसे तेज बुखार के साथ मुँह का सूखना, गर्म लाल सूखी त्वचा, शरीर का तापमान अधिक होना, उल्टी आना, बहुत तेज सिर दर्द, मॉसपेशियो मे कमजोरी व एठंन, अधिक प्यास लगना और पेशाब कम आना, शरीर का तापमान अधिक होने के बावजूद पसीने का ना आना। यह लक्षण प्रतीत होने पर लू से प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के तौर पर तुरंत छायादार जगह पर लिटाकर हवा करे, ठंडे पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का शरबत आदि देना चाहिये, रोगी के शरीर का ताप कम करने के लिए उसके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टिया रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार कराना चाहिये। लू तापघात एवं अन्य मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु जिले के स्वास्थ्य संस्थाओ मे समस्त प्रकार की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।

इंडिया स्किल्स प्रशिक्षु का उत्कृष्ट प्रदर्शन, जीता स्वर्ण पदक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। इंडिया स्किल्स चैपिंयनशिप 2025-26 के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में यदुपति सिंघानियां इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के प्रशिक्षुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 30 मार्च से 01 अप्रैल तक नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की गई, जिसका औपचारिक शुभारंभ 29 मार्च 2026 को हुआ। देशभर के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए 600 से अधिक प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी तकनीकी दक्षता एवं कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में संस्थान के प्रतिभाशाली प्रशिक्षु अजय अहिरवार ने ब्रिकलाइंग ट्रेड में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप ?1,00,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। संस्थान के प्राचार्य मनीष कुमार बुनकर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल संस्थान, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

प्राइवेट विद्यालयों के संचालक प्रवेश बढ़ाने के लिए डटे

वही सरकारी शिक्षक जुटे नौकरी बचाने में

नवभारत न्यूज

गुनौर, 8 अप्रेल। वर्तमान में शिक्षा जैसा समाज का आधार स्तंभ विभाग आज की स्थिति में शासन की स्वार्थपरिता वादी नीतियों के चलते निरंतर शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। जिसका मुख्य कारण शिक्षा के निजीकरण व व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है।

इसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं उदारवादिता परिलक्षित होती है जिसका परिणाम है कि सरकारी विद्यालयों में कई शिक्षकों की नैतिक हीनता के चलते विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। वहीं कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या शून्य हो गई। विचारणीय विषय यह है कि जिन शिक्षकों की अयोग्यता के चलते विद्यालय की छात्र संख्या न्यून व शून्य हो गयी उन शिक्षकों का शासन ने डिग्री बांटने वाले प्राइवेट संस्थानों से मिली अंक सूचियों के आधार पर प्रमोशन कर दिया। यह शासन की शिक्षा में सुधार के प्रति लाई गई व्यवस्था है। आज जहां प्राइवेट विद्यालय अप्रशिक्षित शिक्षकों के भरोसे संचालित विद्यालयों के संचालक अपने विद्यालयों में प्रवेश के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, वहीं वर्तमान में आयोग्य सरकारी शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं।

क्योंकि शिक्षा विभाग वर्तमान में मॉनिटरिंग के अभाव में निरंकुश हो गया है इसीलिए शिक्षक भी फर्जी जानकारियां अपने विभाग को देकर विभाग के आदेशों नियमों की खानापूर्ति कर रहे हैं । अब इस प्रकार की शिक्षा विभाग में खानापूर्ति कब तक चलती रहेगी यह तो समय बताएगा। फिलहाल चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कौन आगे आएगा यह यक्ष प्रश्न सामने है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 8 अप्रेल। कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला चिकित्सालय पन्ना की जिला रोगी कल्याण समिति कार्यकारिणी की बैठक हुई। संपन्न हुई बैठक में समिति के आय के स्त्रोत सहित इसमें बढ़ोत्तरी के प्रयास व अन्य कार्यों के संबंध में अपेक्षित कार्य विषयक महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

समिति सदस्यों के सुझाव पर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा मरीजों के हित में विभिन्न सुविधाओं के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय लिए गए। सिविल सर्जन एवं समिति के सदस्य सचिव डॉ. आलोक कुमार गुप्ता द्वारा बैठक में गत बैठक के परिपालन में की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। इसके अलावा विभिन्न कार्यों की पूर्णता तथा प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा के बारे में अवगत कराया गया। अन्य जरूरी आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श हुआ। कलेक्टर श्रीमती परमार ने बैठक में अस्पताल परिसर एवं विभिन्न वार्डों में आवश्यक प्रबंध की जानकारी ली। उन्होंने प्रगतिरत कार्यों के बारे में पूछा तथा पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही वित्तीय सीमा के तहत आवश्यक सामग्री व उपकरण खरीदी संबंधी अनुमोदन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मरीज एवं उनके परिजनों के लिए समुचित एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के सुधार सहित स्टॉफनर्स की पदपूर्ति के लिए पूर्व प्रयास तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों में आवश्यक समन्वय कर पुन: पोषण किट का वितरण कराने के लिए कहा।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत माहवार विभिन्न मद से आय-व्यय की जानकारी ली गई। इसके अलावा आवंटित 54 दुकानों की 4 लाख 55 हजार 672 रूपए की बकाया राशि संबंधी जानकारी भी दी गई। बैठक में एसडीएम संजय कुमार नागवंशी सहित प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेन्द्र कुमार गुप्ता, डॉ. डी.पी. प्रजापति, डॉ. मीना नामदेव, डॉ. सौरभ त्रिपाठी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।